कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

पत्रांक 1366 /33–1रोड/दिनांक, हमीरपुर, दिसम्बर 18, ,2019.

सेवा में,

वन संरक्षक,
चित्रकूटधाम वृत्त
उ0प्र0, बॉदा।

विषयः–जनपद–हमीरपुर में बिलरायॉ–पनवाड़ी मार्ग (राजमार्ग संख्या–21) के चैनेज 399.600 से 427.00 (चिकासी से राठ) तक 4–लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित 49.32 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–1090/11–सी–FP/UP/ROAD /41235/दिनॉक 02.12.2019 एवं आपका पृष्ठांकन पत्रांक–1782/33–1/दिनॉक 03.12.2019.

महोदय,

आपके उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के अनुपालन में प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का निम्न प्रकार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव 4 प्रतियों में अग्रेतर कार्यवाही आपकी सेवा में प्रेषित है।

1. याचक विभाग एवं अधोहस्ताक्षरी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न कर दिया गया है।
2. ऑन लाइन भाग–2 के अनुसार वृक्षों के वैज्ञानिक नाम सहित सारांश संलग्न कर दिया गया हैं।
3. प्रभावित संरक्षित वन भूमि के दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का पूर्ण प्राक्कलन ऑन लाइन भाग–2 के क्रमांक–13 (ii) में अपलोड कर दिया गया है।
4. प्रस्ताव मार्ग चौड़ीकरण का स्टैंण्डर्ड क्रास सेक्शन (लीनियर प्लान) संलग्न कर दिया गया है।
5. गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा सत्यापित व चिन्हित कर दी गयी है।
6. प्रस्ताव में कोई सेन्चुरी/वन्यजीव विहार न होने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी का संशोधित प्रमाण–पत्र संलग्न कर दिया गया है।
7. हार्ड कापी भाग–2 में ऑन लाइन भाग–2 के अनुसार हरियाली घनत्व संशोधित कर अपलोड कर दिया गया है।
8. प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–130 पर संलग्न प्रमाण–पत्र प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।

संलग्नकः–प्रस्ताव की 4 प्रतियॉ सी0डी0 सहित।

भवदीय,

(नरेन्द्र सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।